20रु. COURT FEE Rs.20
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

475

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग – 3708 – I 16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

1– सटटू पुत्र श्री देवी लोधी
2– नारायण दास पुत्र श्री देवी लोधी
3– मनप्यारे पुत्र श्री देवी लोधी
4– लोचन पुत्र श्री भुजवल लोधी
5– मुलायम पुत्र श्री लोचन लोधी
6– गोकुल पुत्र श्री लोचन लोधी
7– महीपत पुत्र श्री लोचन लोधी
8– जहार पुत्र श्री लोचन लोधी
निवासीगण–गुंजनया तहसील बडा मलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

दिनांक 26.10.16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

26-10-16
50 380
26.10.16

26/10/16

विरूद्ध

1– हरकिया पत्नी चतरा अहिरवार
2– रूप नारायण पुत्र श्री राजधर लोधी
निवासीगण–गुंजनया तहसील बडा मलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 561/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार बडामलहरा के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि खसरा नं. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40/2, 41, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 472, 474, 476, 481, 482, 483, किता 22 रकवा 7.619 है0 के संबंध में इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम सतपारा में स्थित भूमि शामिल खाता की कृषि भूमि है इसलिये स्थगन दिया जाये।

(3) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3708-एक/2016 जिला छतरपुर सटटू आदि विरूद्ध हरिकिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 561/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

25/01/19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 25/01/19	